मध्य प्रदेश शासन
पर्यटन विभाग,
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक 589 /2736524/2025/तैंतीस भोपाल,दिनांक 09/04/2025

प्रति

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड
भोपाल।

विषय:- मध्यप्रदेश शासन पर्यटन विभाग द्वारा जारी पर्यटन नीति 2025 की कंडिका क्रमांक 9.8 के क्रियान्वयन संबंधी निर्देश ।

---0---

उपरोक्त विषय में विभाग द्वारा पर्यटन नीति 2025 जारी की गई है। उक्त पर्यटन नीति 2025 की कंडिका 9.8 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

''लीज पर दी गई भूमियों से प्राप्त होने वाली निविदा राशि (प्रीमियम) एवं वार्षिक लीज रेंट की राशि, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा शासन से प्राप्त राशि के रूप में पृथक मद 'शासकीय भूमियों का निवर्तन एवं अधोसंरचना विकास' में रखी जायेंगी। यह राशि भूमियों के सर्वे, हस्तांतरण, निविदा प्रक्रिया, विद्युत/सड़क/ जल प्रदाय, ऐरिया प्लानिंग, ऐरिया डेवलपमेंट, परिसंपत्तियों की सुरक्षा व अन्य आवश्यक अधोसंरचना विकास में निगम द्वारा व्यय की जा सकेंगी। इस राशि के व्यय के संबंध में पर्यटन विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे'' ।

उपरोक्तानुसार प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते है:-

1. **प्राप्त राशि के उपयोग हेतु अनुमत प्रयोजन :-**

1.1 पर्यटन परियोजना हेतु हस्तांतरित / अधिगृहित परिसंपत्तियों/भूमि के सर्वे, मास्टर प्लानिंग, फिजीबिलिटी अध्ययन/तकनीकी अध्ययन/ले-आउट, आर्किट्रेक्टचरल अध्ययन आदि पर व्यय ।

1.2 यथा आवश्यक निजी भूमि के अधिग्रहण पर आने वाल व्यय (राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत) |

1.3 हस्तांतरित/ अधिगृहित भूमियों/ परिसंपत्तियों के साइट डेवलपमेंट, फेन्सिंग आदि पर व्यय।

1.4 हस्तांतरित/ अधिगृहित भूमियों/ परिसंपत्तियों पर सड़क संपर्क विकास/सड़क/ड्रेनेज/ विद्युत प्रदाय एवं जल प्रदाय आदि आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की स्थापना, संधारण एवं संचालन पर व्यय।

1.5 हस्तांतरित/ अधिगृहित भूमियों/ परिसंपत्तियों की निजी निवेशकों को सौंपने के पूर्व संरक्षा एवं सुरक्षा हेतु नियुक्त सुरक्षाकर्मियों के वेतन पर व्यय/बिजली/पानी आदि देयकों पर व्यय।

1.6 हस्तांतरित/अधिगृहित भूमियों/ परिसंपत्तियों के निकट यथा आवश्यकता पर्यटन सुविधाओं/अधोसंरचना विकास पर व्यय (राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत) ।

निरन्तर ....

Dir (L.P.)

mgr (it)

543 22/4/25

L-2025-P-173

म.प्र. टूरिज्म बोर्ड, भोपाल
आवक क्रमांक TB-1102
दिनांक 11-4-2025

22/4

1.7 हस्तांतरित/ अधिगृहित भूमियों/ परिसंपत्तियों की ब्रांडिग, साइनेज, मार्केटिंग विज्ञापन, फेम टूर आदि पर व्यय।

1.8 हस्तांतरित/ अधिगृहित भूमियों/ परिसंपत्तियों के व्ययन पर होने वाला व्यय जैसे निविदा, विज्ञापन, निविदा प्रक्रिया संचालन आदि पर व्यय।

1.9 मध्यप्रदेश पर्यटन नीति-2025 को लागू करने के लिए परामर्श/सलाहकार/विधिक/विपणन/ तकनीकी/योजना/सर्वे/प्लानिंग आदि सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय।

1.10 निवेशक संपर्क एवं निवेश संवर्धन हेतु बैठक/सेमीनार/ट्रेड/फेयर/इंटरएक्टिव सेशन आदि के आयोजन तथा ऐसे आयोजनों में सहभागिता हेतु होने वाले व्यय।

1.11 मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड में हस्तांतरित/ अधिगृहित भूमियों/ परिसंपत्तियों कार्यों हेतु रिकार्ड संधारण एवं डाटा एंट्री आदि पर व्यय।

1.12 पर्यटन परियोजना हेतु हस्तांतरित भूमियों/ परिसंपत्तियों यथा हेरिटेज परिसंपत्ति, मार्ग सुविधा केंद्र, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में अधिरोपित पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क की प्रति-पूर्ति का भुगतान |

1.13 अन्य व्यय जो राज्य शासन द्वारा अनुमत किए जायें ।

2. **प्राप्त राशि के व्यय हेतु अधिकार:-**

2.1 उपरोक्त कंडिका 1 अनुसार मान्य मदों पर रूपये 2.00 करोड तक का एक बार में किए जाना वाला व्यय तथा वार्षिक कुल व्यय रूपये 10.00 करोड़ की सीमा तक व्यय के अधिकार प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को होगें।

2.2 एक बार में रूपये 2.00 करोड़ से अधिक की परियोजना पर अथवा वार्षिक रूपये 10.00 करोड़ सीमा से अधिक किए जाने व्यय हेतु आयुक्त, पर्यटन मध्यप्रदेश शासन की स्वीकृति आवश्यक होगी।

3. **प्राप्त राशि का संधारण :-**

3.1 मध्यप्रदेश पर्यटन नीति-2025 के लागू होने के उपरांत नीति की कंडिका क्रमांक 9.8 अंतर्गत प्राप्त राशियों मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड में पृथक से "शासकीय भूमियों/परिसंपत्तियों का निवर्तन एवं अधोसंरचना व विकास हेतु प्राप्त शासन की राशियों" मद के अंतर्गत रखी जायेंगी।

3.2 इस राशि के आय-व्यय का पृथक से लेखा संधारण किया जायेगा एवं टूरिज्म बोर्ड के लेखों में भी इसे पृथक से दर्शाया जायेगा।

3.3 उपरोक्तानुसर अनुमोदित आय-व्यय ब्यौरा प्रतिवर्ष आयुक्त पर्यटन के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

3.4 इस मद में प्राप्त राशियों शासन को प्राप्त राशियों होंगी जिन पर आयकर सेवाकर देय नहीं होगा। इन राशियों को शासन द्वारा कभी भी शासन के राजस्व मद में अंतरित कराया जा सकेंगा।

निरन्तर .....

3.5 इस मद में संचित राशियों से प्राप्त ब्याज राशि से पर्यटन नीति 2025 की कंडिका 4.8 के अधीन गठित किए जाने वाले "निवेश संवर्धन एवं योजना प्रभाग (Investment Promotion and Planning Division)" पर आने वाले प्रशासकीय व्यय का भुगतान किया जा सकेगा।

यह निर्देश पर्यटन नीति 2025 के प्रभावशील होने के दिनांक 18.02.2025 से लागू होगें तथा उक्तावधि उपरांत आय-व्यय इन्हीं निर्देशों के अधीन होगें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

7/4/25

(जगदीश कुमार गोमे)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग
भोपाल,दिनांक /04/2025

पृ. क्रमांक /2736524/2025/तैंतीस

प्रतिलिपि:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय, भोपाल ।
2. सचिव मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल ।
3. समस्त संभागायुक्त ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष ।
5. आयुक्त, जनसंपर्क की ओर प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित ।
6. समस्त कलेक्टर्स ।
7. आदेश पुस्तिका

उप सचिव
म.प्र. शासन, पर्यटन विभाग